रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 185] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 24, 2012/वैशाख 4, 1934
No. 185] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 24, 2012/VAISAKHA 4, 1934

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अप्रैल, 2012

सा.का.नि. 316(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 141 की उप-धारा (2) के खण्ड (ख) और (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और सीमा सुरक्षा बल, वायु स्कंध, स्टोरमैन काडर समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2006, और सीमा सुरक्षा बल वायु स्कंध सूबेदार (स्टोरमैन) भर्ती नियम, 2007 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, सीमा सुरक्षा बल, वायु स्कंध स्टोरमैन काडर समूह 'ख' व समूह 'ग' के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सीमा सुरक्षा बल, वायु स्कंध, स्टोरमैन काडर अराजपत्रित (योधक) समूह 'ख' व समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2012 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **लागू होना.**—ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे ।

3. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन बैण्ड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

5. **निरर्हताएं.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है ;

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **चिकित्सक दृष्टया योग्यता** :– (1) इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केवल ऐसे व्यक्ति, जो चिकित्सा प्रवर्ग शेप–I, में है, इन नियमों के उपबंधों के अधीन नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।

(2) शेप–1 का तात्पर्य निम्नलिखित चिकित्सा प्रवर्ग से है:–

(i) चिकित्सा अधिकारी द्वारा अधिकारी का यथानिर्धारित मानकों के तहत किया गया और कूट अक्षरों SHAPE द्वारा इंगित चिकित्सा श्रेणीकरण निम्नलिखित को दर्शाता है:–

S– मनोवैज्ञानिक (Psychological)

H –श्रवण क्षमता (Hearing)

A –एपेंडेजेज (Appendages)

P –शारीरिक क्षमता (Physical Capacity)

E –दृष्टि क्षमता (Eye-Sight)

(ii) अधिकारी की कार्य क्षमता को प्रत्येक कूट अक्षर के सामने 1 से 5 तक के अंकों से दर्शाया जायेगा जो कमशः घटती हुई कार्यक्षमता को दर्शाएंगे और अंकों को कूट अक्षर के सामने लिखा जाएगा, सिवाय उस स्थिति के जहां कोई अधिकारी सभी मानकों में ग्रेड– I में है तो उसकी श्रेणी को S1H1A1P1E1 लिखने की बजाय SHAPE-1 लिखकर दर्शाया जा सकता है और इन अंकों का सामान्य मूल्यांकन निम्नलिखित है :–

(1) कहीं भी सभी कर्त्तव्यों के लिए स्वस्थ।

(2) सभी कर्त्तव्यों के लिए स्वस्थ लेकिन कार्यों के प्रकार और कार्य क्षेत्रों के अनुसार सीमित जो इस बात पर निर्भर है कि क्या इन कार्यों में अत्यधिक मानसिक दवाब या श्रवण अथवा दृष्टि क्षमता अथवा आंख और कान दोनों की तीक्ष्णता अपेक्षित है अथवा नहीं, कर्त्तव्यों के प्रकार और नियोजन योग्यता क्षेत्रों के अनुसार परिसीमायें हो सकती है ।

(3) "एस" मानक को छोड़कर दैनन्दिन अथवा बैठकर की जाने वाली ड्यूटी के लिए स्वस्थ लेकिन अधिक ऊंचाई (2,700 मीटर से अधिक) अत्यधिक ठंडे या पहाड़ी क्षेत्रों में और लंबे कर्त्तव्य भारों के लिए नियोजन योग्यता की परिसीमायें हो सकती है।

(4) अस्पताल में भर्ती होने या बीमारी की छुट्टी के कारण अस्थायी रूप से अस्वस्थ।

(5) कर्त्तव्यों के लिए स्थायी रूप से अस्वस्थ।

7. **अधिवर्षिता** :– (1) ऐसा व्यक्ति जो इन नियमों के अधीन नियुक्त किया गया है, उस मास की अंतिम तारीख के अपराह्न में, जिसको वह सत्तावन वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है सेवा से सेवा निवृत्त होगा:

परन्तु यह कि ऐसा व्यक्ति, जिसकी जन्म की तारीख मास की पहली तारीख है, उस मास से पूर्व मास की अन्तिम तारीख को सत्तावन वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त होगा।

(2) किसी भी व्यक्ति को सत्तावन वर्ष की आयु के पश्चात् सेवा विस्तारण प्रदान नहीं किया जाएगा।

8. **शिथिल करने की शक्ति** :– जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बावत्, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

9. **अन्यदेशीय की अपात्रता**:– इन नियमों के अन्तर्गत वह व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, सिवाय ऐसे मामले में जिनमें केन्द्रीय सरकार द्वारा लिखित में सहमति दी गई हो, नियुक्त या नियोजित नहीं किया जाएगा।

परन्तु इन नियमों में समाविष्ट कोई भी प्रावधान नेपाल या भूटान के नागरिकों को इस नियम के अन्तर्गत नियुक्ति, भर्ती या नियोजित करने से वंचित नहीं करेगा।

10. **व्यावृत्ति** :– इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पदनाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान
(1)	(2)	(3)	(4)
1.निरीक्षक (स्टोरमैन)	03* (2012) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड 2, 9,300–34,800 रू0 + ग्रेड वेतन 4,600 रू0